रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1375] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2016/ज्येष्ठ 13, 1938
No. 1375] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2016/JYAISTHA 13, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2016

का.आ. 1971(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने का इच्छुक है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभयारण्य कहा गया है) कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में अवस्थित है और वह पुट्टइआहना कोप्पलु ग्राम, श्रीरंगापटना तालुक, अराकेरे और गेंडेहोसल्ली ग्राम, श्रीरंगापटना तालुक की ग्राम सीमाओं में कावेरी नदी के 6 द्वीपों और 6 द्वीपिकाओं से मिलकर बना है और वह 0.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ।

और, अभयारण्य दो विशिष्ट भागों में बंटा है, पहले भाग में पुट्टइआहना कोप्पलु ग्राम की ग्राम सीमाओं के अंतर्गत आने वाले कावेरी नदी में 3 द्वीप सम्मिलित हैं जिनका विस्तार 32.46 हैक्टेयर है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभयारण्य का रंगानाथिटू भाग कहा गया है) और दूसरे भाग में गेंडेहोसल्ली तथा अराकेरे ग्राम की ग्राम सीमाओं के भीतर आने वाले 4 द्वीपों

का समूह सम्मिलित है, जिसका विस्तार 34.65 हैक्टेयर है (जिसे इसमें इसके पश्चात अभयारण्य का गेंडेहोसल्ली भाग कहा गया है)।

और, कावेरी नदी के पार बराज के निर्माण द्वारा बने जलाशय से प्राप्त जल द्वारा द्वीप समुह चारों ओर से घिरा हुआ है और अभयारण्य के चारों ओर सिंचाई कृषि क्षेत्र का व्यापक फैलाव है जहाँ बहुत से अन्य जलीय कीड़े मकोड़े होते है। जिनके कारण अनेक पक्षी अभयारण्य की ओर आकर्षित होते है ;

और, अभयारण्य में चैम्पियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार पर्णपाती झाड़ी वन है जिसमें द्वीपों के केन्द्रीय भाग में कंटीले झाड़ी जंगल और सीमांत पर बड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन सम्मिलित है ;

और, वनस्पति प्रजातियों के अंतर्गत साइज़ियम कुमीनी, बर्रिंगटोनिया रेसमोसा, टरमिनालिया अर्जुना, अकाकिया स्पप., कप्पारिस स्पप., डिक्रोस्टासियस साइनेरेया, डोडोनिया विसकोसा, कासिया औरिकुलाटा, पानडनस फस्कीकुलारिस, हारडविकिया बिनाटा, मायटेनस इमरजिनाटा, ग्रेविया टिलियाफोलिया ;

और, अभयारण्य में अद्वितीय और दुर्लभ पौधें पाए जाते हैं अर्थात् इफिगेनिया मायसोरेनसिस और इक्वीसटेम रामोस्सिस्सिमम जिसे सामान्यतः हार्सटेल फर्न के नाम से जाना जाता है ;

और, अभयारण्य में प्रचुर पक्षी जीव-जन्तु की 221 प्रजातियां जिसमें आवासी और प्रवासी पक्षी दोनों सम्मिलित है जैसे जलकाग, बगुला, बानकर, सफेद बुजा, वक, घोंघिल, जांघिल, भारतीय बड़ी, ग्रेट स्टोन प्लोवर, पैराडाइस मक्खीमार, क्रेसटेड भुजंग चील, मारश हैरियर, लेस्सेर हंसक, स्पॉट बिल्ड बत्तख, टिटिहरी का संभरण है ;

और, अभयारण्य अन्य प्रकार के पशुओं के लिए भी आवास है जिसमें स्तनधारी, सरीसृप, मछली और सांधिपाद शामिल है जिसमें लघु पुच्छ वानर, सामान्य नेवला, सामान्य उदबिलाव, मुसंग, गादुर, सांप (जहरीले और गैर-जहरीले दोनों) कछुआ, सामान्य भारतीय गोह, मार्स मगरमच्छ और मछलियों की 30 प्रजातियां सम्मिलित हैं ;

और, रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में फैले अभयारण्य के रंगनाथिटू भाग की सीमा के चारों ओर 0.50 किलोमीटर से 2.35 किलोमीटर के बीच तक विस्तारित क्षेत्र को और अभयारण्य के गेंडेहोसल्ली भाग की सीमा से 0.35 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार अभयारण्य के रंगनाथिटू भाग की सीमा के चारों ओर 0.50 किलोमीटर से 2.35 किलोमीटर के बीच तक विस्तारित क्षेत्र और अभयारण्य के गेंडेहोसल्ली भाग की सीमा से 0.35 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र में है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन 19.29 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और इसमें कर्नाटक के मांड्या जिले के पांडवपुरा, श्रीरंगनापटना, टी. नरसीपुरा और मैसूर तालुका के 19 ग्राम सम्मिलित हैं।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की (I) अभयारण्य के रंगनाथिटू भाग और (II) अभयारण्य के गेंडेहोसल्ली भाग, दोनों के संबंध में सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रुप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र, उसके अक्षांश और देशांतरों सहित **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-III** पर है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग,

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में क्रम सं0 11, 17, 23, 29 और 32 के अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं, :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, इसमें पैरा 3 में निर्दिष्ट मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों-** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटक महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का एक भाग बनेंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे।

परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** – पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** -परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाईयां -** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के सिवाए विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिक उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

(9)	मत्स्य पालन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग तब तक जारी रह सकेंगे जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध नहीं कर दिया जाता है ।
(11)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(12)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक इनमें जो भी निकट है, के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा : परंतु स्थानीय व्यक्तियों को अपने आवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अपनी भूमि पर संनिर्माण करने की अनुमति होगी । (ख) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप नियम या विनियम, यदि कोई लागू हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुज्ञात होंगे । (ग) परन्तु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा एक किलोमीटर से ज्यादा है तो वहाँ, एक किलोमीटर के पश्चात् और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक स्थानीय व्यक्तियों की सद्भावी आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे ।
(13)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
(14)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(15)	विद्युत केबलों का परिनिर्माण।	(क) भूमिगत तारों के बिछाने का संवर्धन किया जाएगा । (ख) विद्यमान घरेलू लाइने-यदि वह भूमि से ऊपर हे तो उनकी ऊंचाई < 20 डिग्री ढाल के लिए 20 फुट और > 30 डिग्री ढाल के लिए यह ऊंचाई भूमि से 30 फुट

		होनी चाहिए । (ग) 11 केवी तक के घरेलू प्रयोजन के लिए इलैक्ट्रिक लाइनों का कोई भावी बिछाया जाना भूमिगत होगा । (घ) 11 केवी से अधिक की किसी पारेषण लाइन के लिए 2 टावरों के बीच "सैग" बिन्दू भूमि से कम से कम 15 मीटर होना चाहिए ।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण और ठोस अपशिष्ट का निपटान ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(22)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
(24)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	दुकानदरों द्वारा पालिथीन के बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, पशुपालन, जल कृषि और मत्स्य पालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(30)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर क्षेत्र, मैसूर	अध्यक्ष
(ii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	क्षेत्रीय अधीकारी, मैसूर, कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(vi)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य
(vii)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, मांड्या जिला, मांड्या	सदस्य
(viii)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, मांड्या	सदस्य
(ix)	विधान सभा सदस्य-श्रीरंगनापटना (कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सुसंगत अनुमोदन, जिसमें अन्य बातों के साथ कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष से अनुमति भी है, यदि अपेक्षित हो)	सदस्य
(x)	वन उप-संरक्षक, वन्य जीव प्रभाग, मैसूर	-सदस्य-सचिव।

6.निर्देश निबंधन :

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/134/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन

रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य में पुट्टइआहना कोप्पालु ग्राम की ग्राम सीमा और अरकेरे और गेन्देहोसल्ली ग्राम की ग्राम सीमा में 6 द्वीप होते हैं । अभयारण्य में 2 भिन्न भाग अर्थात् रंगनाथिटू भाग और गेन्देहोसल्ली भाग हैं और अतः, इनका अलग-अलग सीमा वर्णन दिया गया है ।

i. रंगनाथिटू भाग के अभयारण्य के अंतर्गत पुट्टइआहना कोप्पलु ग्राम की सीमा का वर्णन:

उत्तर: रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा येन्नेहोले कोप्पलु-पुट्टइआहना कोप्पलु सड़क के त्रि-जंक्शन बिन्दु को पार करके आरंभ होती है । इसके बाद रेखा ग्राम सड़क के साथ पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और डोड्डेगोवदाना कोप्पलु ग्राम गेट पहुँचती है । इसके बाद रेखा डोड्डेगोवदाना कोप्पलु-रामपुरा सड़क के त्रि-जंक्शन बिन्दु से 200 मीटर पर पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है ।

पूर्व: बिन्दु के ऊपर से रेखा दक्षिण दिशा की ओर जाती है और धान खेती सड़क के साथ पूर्व दिशा से होते हुए कावेरी नदी बांध को छूती है । इसके बाद रेखा कावेरी नदी को पार करके और करीमनती ग्राम सड़क के बनगारादोद्दी चैनल पहुँचती है । इसके बाद रेखा धान खेती से होते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर और करीमनती ग्राम सड़क को छूती है ।

दक्षिण: बिन्दु के ऊपर से रेखा करीमनती ग्राम सड़क के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है और ओनिमाराम्मा मन्दिर पहुँचती है , इसके बाद रेखा रंगनाथिटू सड़क के विराजा चैनल को छूती है । इसके बाद रेखा विराजा चैनल सड़क के साथ जाती है और पलाहल्ली ग्राम सीमा से होते हुए और विराजा चैनल के पलाहल्ली श्रीनिवासा भूमि के निकट बरगद के पेड़ को छूती है ।

पश्चिम: रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की पश्चिमी सीमा विराजा चैनल के पलाहल्ली श्रीनिवासा भूमि के निकट बरगद के पेड़ से आरंभ होकर और रेखा पलाहल्ली ग्राम सीमा के धान खेती से होते हुए उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है और कावेरी नदी को छूती है । इसके बाद रेखा कावेरी नदी को पार करके और सड़क के साथ येन्नेहोलेकोप्पलु ग्राम को छूती है । इसके बाद रेखा सड़क के साथ उत्तर और पूर्व दिशा की ओर जाती है और आरंभिक बिन्दु पहुँचती है ।

ii. गेनदेहोसल्ली भाग के अभयारण्य के अंतर्गत अरकेरे और गेनदेहोसल्ली ग्राम की सीमा का वर्णन

उत्तर: रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा महादेवापुरा टोल्ल गेट के निकट मैसूर से महादेवापुर सड़क तक आरंभ होती है । इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और महादेवापुरा ग्राम के निकट कावेरी नदी पुल को पार करता है और श्रीरंगापटना-बन्नुर मुख्य सड़क के त्रि-जंक्शन सड़क बिन्दु पहुँचती है इसके बाद रेखा सड़क के साथ होते हुए पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और गेनदेहोसल्ली द्वीप के अर्च गेट को छूती है । इसके बाद रेखा सड़क के साथ पूर्व दिशा की ओर मुड़कर और मनदया कोप्पल-गेनदेहोसल्ली ग्राम त्रि-जंक्शन सड़क बिन्दु को छूती है ।

पूर्व: मनदया कोप्पल-गेनदेहोसल्ली ग्राम त्रि-जंक्शन सड़क बिन्दु के ऊपर से इसके बाद रेखा चिक्कादेवारया चैनल सड़क के साथ दक्षिण दिशा की ओर जाती है । इसके बाद रेखा चैनल सड़क के साथ जाती है और गेनदेहोसल्ली ग्राम को छूती है । इसके बाद रेखा ग्राम सड़क के साथ जाती है और रामस्वामी चैनल पहुँचती है । इसके बाद रेखा चैनल सड़क के साथ जाती है और कोदागल्ली ग्राम सीमा पहुँचती है । इसके बाद रेखा

चैनल के साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर और पुल के बन्नुर –मैसूर सड़क पहुँचती है ।

दक्षिण: बिन्दु के ऊपर से रेखा पुल के साथ कावेरी नदी को पार करके पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर और बन्नुर–मैसूर सड़क के निकट राजापरामेशवरी चैनल पहुँचती है ।

पश्चिम: बिन्दु के ऊपर से रेखा राजापरामेशवरी चैनल से आरंभ होकर और इसके बाद रेखा राजापरामेशवरी चैनल सड़क के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़कर और बिदराहल्लीहुनदी ग्राम सीमा पहुँचती है । इसके बाद रेखा राजापरामेशवरी चैनल सड़क के साथ उत्तर दिशा की ओर जाती है, इसके बाद रेखा महादेवापुरा ग्राम सड़क के साथ पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर मुड़कर और आरंभिक बिन्दु छूती है ।

उपाबंध–II

पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

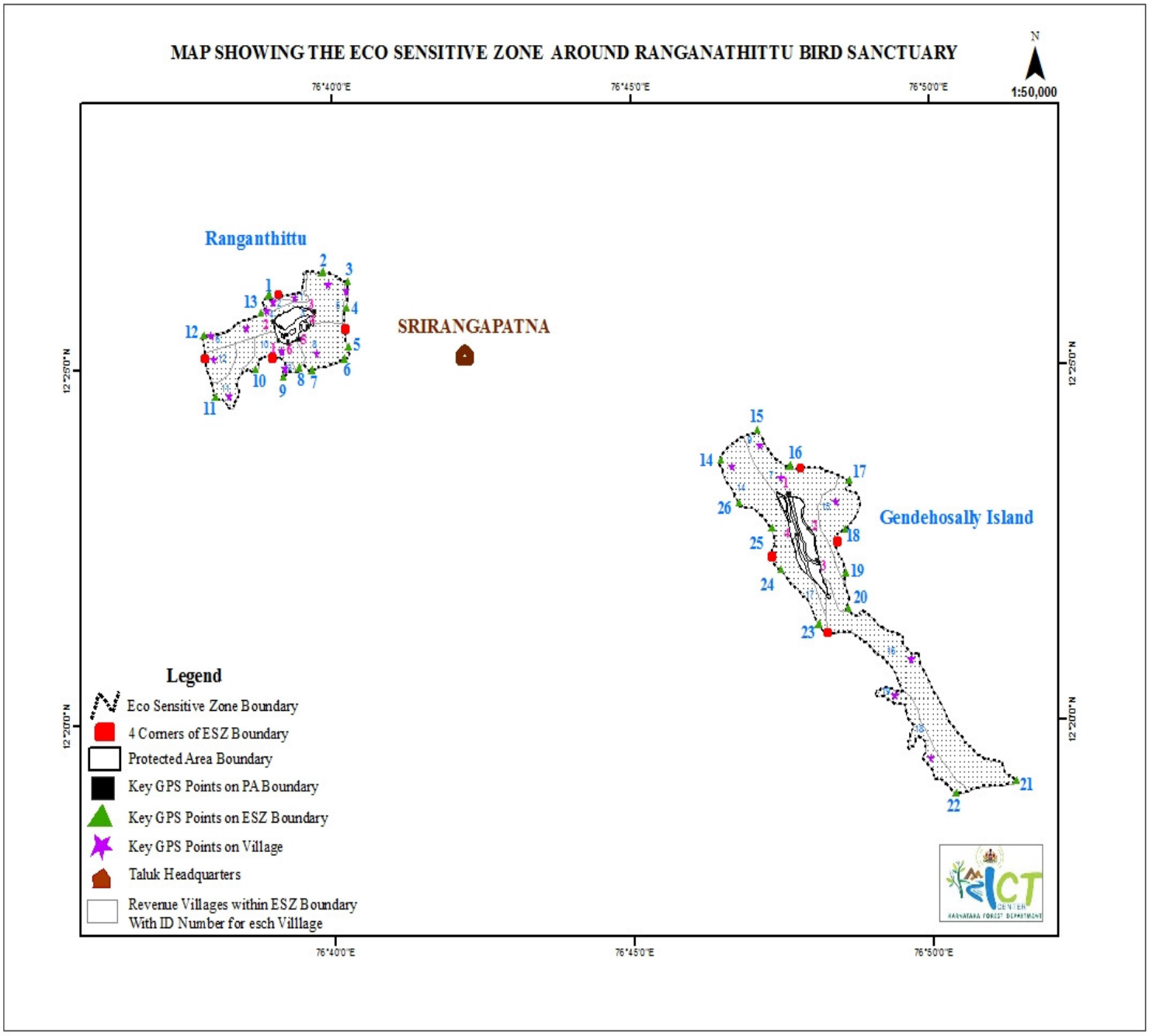

रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य सीमा के मुख्य अवस्थान (भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिन्दु)

मानचित्र की स्थिति	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर (दशमलव डिग्री)
I	रंगनाथिट्टू भाग का अभयारण्य	
1	12.423101°	76.651608°
2	12.427670°	76.649832°
3	12.429923°	76.661368°
4	12.427814°	76.658418°
5	12.423212°	76.657114°
6	12.422832°	76.655138°
II	गेनदेहोसल्ली भाग का अभयारण्य	
1	12.385752°	76.794229°
2	12.378533°	76.798362°
3	12.369862°	76.801677°
4	12.377924°	76.796241°

रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के मुख्य अवस्थान (भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली बिन्दु)

मानचित्र की स्थिति	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर (दशमलव डिग्री)
1	12.436059°	76.647513°
2	12.438175°	76.664610°
3	12.437550°	76.670538°
4	12.431651°	76.669739°
5	12.423250°	76.671075°
6	12.420952°	76.671278°
7	12.417587°	76.661738°
8	12.419702°	76.658508°

9	12.415165°	76.652270°
10	12.416783°	76.644927°
11	12.409116°	76.633223°
12	12.425779°	76.628859°
13	12.432102°	76.646682°
14	12.398367°	76.777364°
15	12.402727°	76.786706°
16	12.394903°	76.797299°
17	12.389463°	76.808900°
18	12.378356°	76.805218°
19	12.370991°	76.803771°
20	12.360281°	76.807800°
21	12.324522°	76.848457°
22	12.318785°	76.837396°
23	12.355725°	76.801057°
24	12.367451°	76.795845°
25	12.380694°	76.790207°
26	12.381778°	76.784370°

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत ग्रामों की सूची

मानचित्र आई डी	ग्राम के नाम	तालुक के नाम	ग्राम का विस्तार (हेक्टेयर में)	अक्षांश (दशमलव डिग्री)	देशांतर (दशमलव डिग्री)	टिप्पणी
1	पुत्ताय्यानकोप्पल	पनडावापुरा	21.53	12.435094°	76.651028°	
2	येन्नेहोलेकोप्पल	पनडावापुरा	21.11	12.432075°	76.649778°	
3	डोड्डेगोवदानाकोपलु	श्रीरंगापटना	244.00	12.436132°	76.665423°	
4	चालुवरसीमाकोप्पल	पनडावापुरा	4.44	12.430815°	76.643648°	आंशिक ग्रामों की सीमा
5	अगराहर	श्रीरंगापटना	11.63	12.43712°	76.670332°	
6	अरालाकुप्पेनाला	पनडावापुरा	6.40	12.425896°	76.633827°	
7	अरकेरे	श्रीरंगापटना	358.70	12.389197°	76.792283°	

8	करीमनती	श्रीरंगापटना	139.30	12.420137°	76.661976°	
9	वदीयानदालहल्ली	श्रीरंगापटना	0.12	12.398854°	76.788767°	
10	पलहल्ली	श्रीरंगापटना	78.816	12.419796°	76.653862°	
11	बेलागोला	श्रीरंगापटना	123.12	12.412146°	76.636542°	
12	कारेपुर	श्रीरंगापटना	70.95	12.418690°	76.631997°	
13	केमपलिनगापुर	श्रीरंगापटना	13.59	12.416475°	76.653205°	
14	महादेवपुर	श्रीरंगापटना	240.40	12.392836°	76.777760°	
15	गेमदेहोसहल्ली	श्रीरंगापटना	110.47	12.384534°	76.806602°	
16	बेन्नुर	टी. नरसीपुरा	384.00	12.347537°	76.827649°	
17	हरोहल्ली	मैसूर	3.16	12.352872°	76.805144°	
18	मदागारेहुनदी	टी. नरसीपुरा	95.34	12.324499°	76.832799°	
19	रंगानाथपुर	टी. नरसीपुरा	2.04	12.331895°	76.824180°	
		कुल	**1929.116**			

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रुप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2016

S.O. 1971(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Ranganathittu Bird Sanctuary (hereinafter referred to as Sanctuary) is situated in Mandya district of Karnataka and comprises of six islands and six islets in the river Cauvery in the village limits of Puttaiahna Koppalu Village, Srirangapatna Taluk, Arkere and Gendehosally Villages, Srirangapatna Taluk which spread over an area of 0.67 square kilometers;

AND WHEREAS, the sanctuary has two distinct parts, the first part consists of three islands in the Cauvery river falling within the village limits of Puttaiahna Koppalu village and having an extent of 32.46 hectares (hereinafter referred to as Ranganthittu part of the Sanctuary) and the second part has cluster of four islands having an extent of 34.65 hectares falling within the village limits of Gendehosally and Arakere Village (hereinafter referred to as Gendehosally part of the Sanctuary);

AND WHEREAS, the islets are surrounded by the water received from a reservoir formed by the construction of wier across river Cauvery and the sanctuary is surrounded by vast stretch of irrigated agricultural fields where aquatic insects are available in plenty, *inter, alia,* these insects attracts numerous birds to the sanctuary;

AND WHEREAS, the Sanctuary has Deciduous Scrub Forests as per Champion and Seth classification which includes Thorny Scrub Jungle in the central part of the islands and Broad leaved deciduous forest on the margins;

AND WHEREAS, the vegetation comprises of species of *Syzigium cumini, Barringtonia racemosa, Terminalia arjuna, Acacia sp., Capparis* sp., *Dichrostachys cinerea, Dodonaea viscosa, Cassia auriculata, Pandanus fascicularis ,Hardwickia binata, Maytenus emarginata, Grewia tiliaefolia;*

AND WHEREAS, the sanctuary also harbours unique and rare plants viz. *Iphigenia mysorensis* and *Equisetum ramossissimum* commonly known as Horsetail fern;

AND WHEREAS, the sanctuary supports rich avian fauna comprising of 221 species which include both resident and migratory birds such as Cormorants, egrets, darter, white ibis, spoonbill, herons, open billed stork, painted storks, Indian river tern, great stone plover, Paradise flycatcher, Crested Serpent Eagle, Marsh Harrier, Lesser Whistling Teal, Spotbilled Duck, Sandpiper;

AND WHEREAS, the sanctuary is also home for other types of animals including mammals, reptiles, fishes and arthropods which include Bonnet Macaque, Common Mongoose, Common Otter, Palm Civet, Fruit Bat, snakes (both poisonous and non-poisonous), turtles, Common Indian Monitor, Marsh Crocodile and 30 species of fishes;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Ranganathittu Bird Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub–section (2) and sub- section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.50 kilometers to 2.35 kilometers from the boundary of Ranganathittu part of the Sanctuary and 0.35 kilometers to six kilometers from the boundary of the Gendehosally part of the Sanctuary in the State of Karnataka, as the Ranganthittu Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone has an extent of up to 0.50 kilometers to 2.35 kilometers from the boundary of Ranganathittu part of the Sanctuary and 0.35 kilometers to six kilometers from the boundary of the Gendehosally part of the sanctuary.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 19.29 square kilometers and includes 19 villages Pandavapura, Sriranganpattna, T. Narsipura and Mysore Taluka of Mandya District of Karnataka.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone both with respect to (I) the Ranganthittu part of the sanctuary and (II) Gendehossally part of the sanctuary is appended as **Annexure I**.

(4) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure II;**

(2) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture,

(viii) State Pollution Control Board,

(xi) Irrigation, and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide details for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 11, 17, 23, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Karnataka.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone and in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time-to-time) with emphasis on Eco-tourism, Eco-education and Eco-development;

(ii) No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for

temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the boundary of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or the Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or the Karnataka State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The Bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time-to-time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement as per the rules and regulations made under the relevant Acts.

(12) **Industrial units**. - (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying, and crushing units shall be prohibited in the Eco-sensitive Zone except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated activities		

10.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood-based industry may be set up in the Eco-sensitive Zone using imported wood stock.
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and up to the boundary of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansions of existing activities would be conformity with Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted, within one kilometer of the boundary of the Protected Area or the boundary of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. (c) However, where Eco-sensitive Zone extends beyond one kilometer, then beyond one kilometer and upto the boundary of Eco- sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.

15.	Erection of electrical cables.	(a) Promote underground cabling. (b) Existing domestic lines – If over ground should be at the height of 20 feet for slope < 20 degree and for slope > 30 degree it should be at the height of 30 feet from the ground. (c) For any future laying of electric lines for the domestic purpose up to 11 KV has to be done underground. (d) For any transmission line more than 11 KV, the "sag" point between the two towers should be at least 15 meters from the ground.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
25.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable by shopkeepers.
27.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws..
		Promoted activities
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted under the laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.

32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light, etc. to be promoted.

5. Monitoring Committee:- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i) The Regional Commissioner, Mysore Region , Mysore –Chairman.

(ii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member.

(iii) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka – Member.

(iv) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Karnataka for a term of one year in each case - Member.

(v) The Regional Officer, Mysore, Karnataka State Pollution Control Board – Member.

(vi) One expert in the area of Ecology from reputed institution or university of the State of Karnataka Government of Karnataka for a term of one year in each case - Member.

(vii) Deputy Commissioner or his representative, Mandya District, Mandya– Member.

(viii) The Chief Executive Officer, Zilla Panchayath, Mandya- Member.

(ix) Member of Legislative Assembly –Srirangapattana –Member

(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

(x) The Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Mysore - Member-Secretary

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/134/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of Eco-Sensitive Zone

The Ranganathittu Bird Sanctuary consists of six islands in the village limits of Puttaiahna koppalu village, and village limits of Arkere and Gendehosally village. The Sanctuary has two distinct parts viz. Ranganathittu part and Gendehosally part and hence, separate boundary descriptions are given.

i. Ranganathittu part of the Sanctuary falling within limits of Puttaiana Koppalu village:

North: The boundary of Eco sensitive zone to Ranganathittu Bird Sanctuary begins from Tri junction point of Yennehole Koppalu -Puttaiana Koppalu road cross. Then the line moving east direction along the village road and reaches the Doddegowdana Koppalu village gate. Then the line moves towards east direction upto 200 Mtr tri junction point of Doddegowdana Koppalu- Rampura Road.

East: From the above point the line turns towards south and east direction passes along the paddy field road touches the Cauvery River bund. Then the line crosses the Cauvery River and reach the Bangaradoddi Channel of Karimanti village road Then the line moves south direction through paddy field and touches the Karimanti village road.

South: From the above point then the line turns towards west direction along the karimanti village road and reaches the Onimaramma temple, then the line touches the Viraja channel of Ranganathittu Road. Then the line runs along the viraja channel road and passing through the Palahally village limit and touches the banyan tree near Palahally Srinivasa Land on viraja channel.

West: The Western boundary of Eco Sensitive zone of Ranganathittu Bird Sanctuary begins from Banyan Tree near Palahally Srinivasa Land on viraja channel and the line turns towards north direction through paddy field of Palahally village limit and touches the Cauvery river. Then line crosses the Cauvery river and touches the Yenneholekoppalu village along the road. Then the line runs along the road towards north and east direction and reach the starting point.

ii. Gendehosally part of the Sanctuary falling within village limits Arkere and Gendehosally village

North: The boundary of Eco sensitive zone to Ranganathittu Bird Sanctuary begins from Mysore to Mahadevapura road near Mahadevapura tollgate. Then the moving towards north east direction and crosses the Cauvery river bridge near Mahadevapura village and reaches the tri-junction road point of Srirangapatna-Bannur main road. Then line turns towards east direction passes along the road and touches the Arch gate of Gendehosally Island. Then line moves towards east direction along the road and touches the Mandya koppalu- Gendehosally village tri-junction road point.

East: From the above Mandya koppalu- Gendehosally village tri-junction road point then the line runs towards south direction along the Chikkadevaraya Channel road. Then the line runs along the channel road and touches the Gendehosally village. Then the line runs along the village road and reach the Ramaswamy channel. Then the line runs along the channel road and reaches the Kodagalli village border. Then the line moves south direction along the channel and Reaches the Bannur- Mysuru road at bridge.

South: From the above point the line moving towards west direction crosses the cauvery river along the bridge and reaches the Rajaparameshwari channel near Bannur-Mysuru road.

West: From the above point the line begins from Rajaparameshwari channel and then the line moving towards north direction along the Rajaparameshawari channel road and reaches the Bidrahallihundi village border. Then the line runs towards north direction along the Rajapameshwari channel road, then the line turns west and north direction along the Mahadevapura village road and touches the starting point.

Annexure II

I. Map of proposed Eco-Sensitive Zone

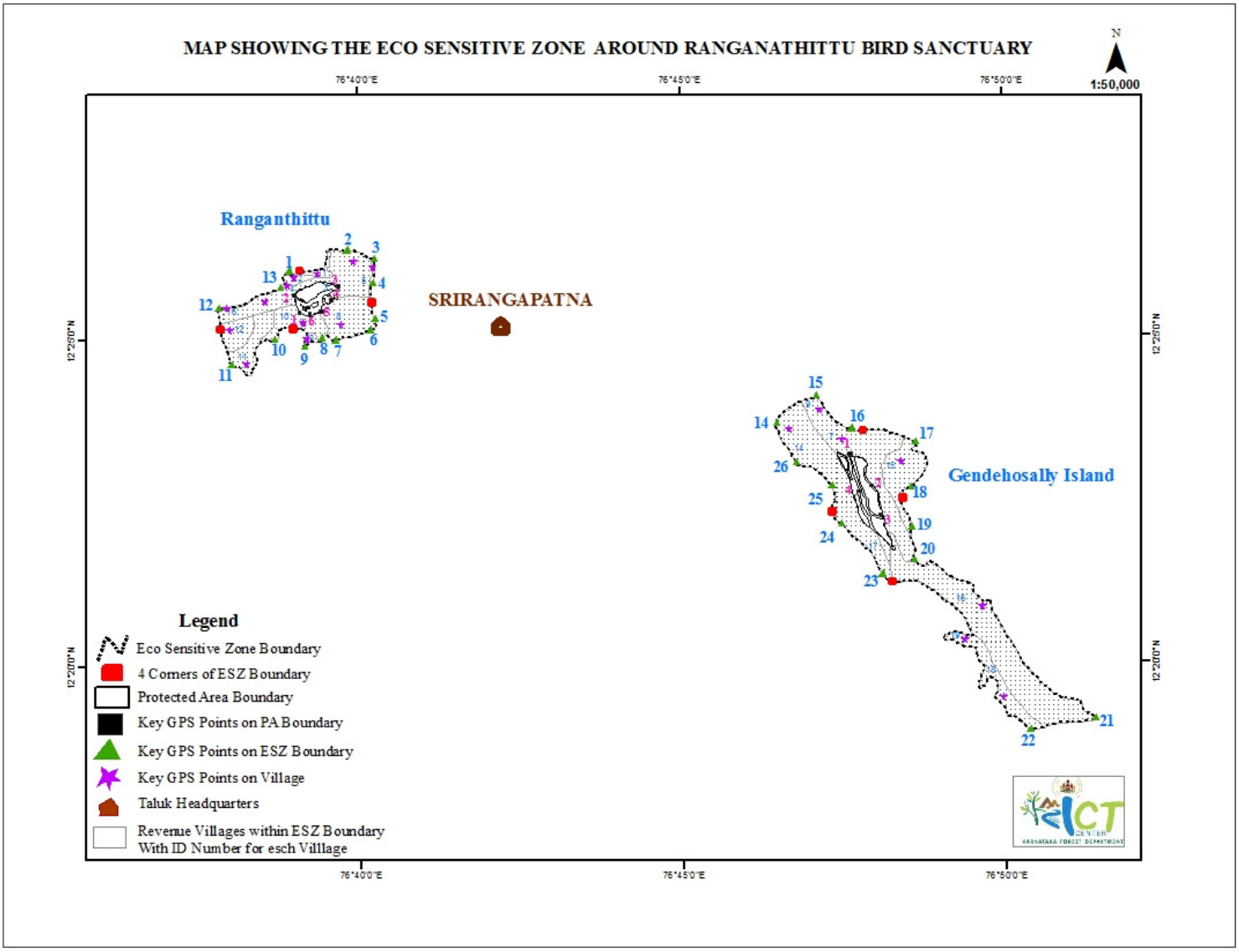

II. Key locations (Global Positioning System Points) on the boundary Ranganthittu Bird Sanctuary.

Location on the Map	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)
I	**Ranganathittu part of the Sanctuary**	
1	12.423101°	76.651608°
2	12.427670°	76.649832°
3	12.429923°	76.661368°
4	12.427814°	76.658418°
5	12.423212°	76.657114°
6	12.422832°	76.655138°
II	**Gendehosally part of the Sanctuary**	
1	12.385752°	76.794229°
2	12.378533°	76.798362°
3	12.369862°	76.801677°
4	12.377924°	76.796241°

III. Key locations (Global Positioning System Points) on the Eco-Sensitive Zone boundary of Ranganathittu Bird Sanctuary.

Location on the Map	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)
1	12.436059°	76.647513°
2	12.438175°	76.664610°
3	12.437550°	76.670538°
4	12.431651°	76.669739°
5	12.423250°	76.671075°
6	12.420952°	76.671278°
7	12.417587°	76.661738°
8	12.419702°	76.658508°
9	12.415165°	76.652270°
10	12.416783°	76.644927°
11	12.409116°	76.633223°
12	12.425779°	76.628859°

13	12.432102°	76.646682°
14	12.398367°	76.777364°
15	12.402727°	76.786706°
16	12.394903°	76.797299°
17	12.389463°	76.808900°
18	12.378356°	76.805218°
19	12.370991°	76.803771°
20	12.360281°	76.807800°
21	12.324522°	76.848457°
22	12.318785°	76.837396°
23	12.355725°	76.801057°
24	12.367451°	76.795845°
25	12.380694°	76.790207°
26	12.381778°	76.784370°

Annexure III

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone

Map ID	Name of the Village	Name of the Taluk	Extent of village in ha	Latitude (Decimal degrees)	Longitude (Decimal degrees)	Remarks
1	Puttayyanakoppal	Pandavapura	21.53	12.435094°	76.651028°	Partial Villages Boundary
2	Yenneholekoppal	Pandavapura	21.11	12.432075°	76.649778°	
3	Doddegaudankoplu	Srirangapatna	244.00	12.436132°	76.665423°	
4	Chaluvarasinakoppal	Pandavapura	4.44	12.430815°	76.643648°	
5	Agrahar	Srirangapatna	11.63	12.43712°	76.670332°	
6	Aralakuppenala	Pandavapura	6.40	12.425896°	76.633827°	
7	Arkere	Srirangapatna	358.70	12.389197°	76.792283°	
8	Karimanti	Srirangapatna	139.30	12.420137°	76.661976°	
9	Vadiyandalhalli	Srirangapatna	0.12	12.398854°	76.788767°	
10	Palhalli	Srirangapatna	78.816	12.419796°	76.653862°	
11	Belagola	Srirangapatna	123.12	12.412146°	76.636542°	
12	Karepur	Srirangapatna	70.95	12.418690°	76.631997°	
13	Kemplingapur	Srirangapatna	13.59	12.416475°	76.653205°	
14	Mahadevpur	Srirangapatna	240.40	12.392836°	76.777760°	
15	Gendehosahalli	Srirangapatna	110.47	12.384534°	76.806602°	
16	Bannur	T.Narasipura	384.00	12.347537°	76.827649°	
17	Harohalli	Mysore	3.16	12.352872°	76.805144°	
18	Madagarehundi	T.Narasipura	95.34	12.324499°	76.832799°	
19	Ranganathapur	T.Narasipura	2.04	12.331895°	76.824180°	
		Total	**1929.116**			

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment notification, 2006.
   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.